RBE No.2/2003

GOVERNMENT OF INDIA / BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(NG)I/99/PM5/7 New Delhi. Dated 01-01-2003

The General Manager (P)
All Indian Railways/PUs
(As Per Standard List)

Sub : Filling up of vacancies in the category of Supervisor (P.Way) in the pay scale of Rs.4500-7000 and J.E.(P.Way) Gr.II in the pay scale of Rs.5000-8000- Recommendations of Railway Safety Review Committee - Implementation thereof.

In terms of extant provisions as contained in para 143 of IREM Vol.I (1989 Edition), the vacancies in the category of Permanent Way Mistry since redesignated as Supervisor (P.Way), Gr.Rs. 4500-7000 are filled as under:-

(i) 25% by direct recruitment through Railway Recruitment Boards, with qualification of 10+2 with Science and Maths; Diploma holders in Civil/Mechanical/Electrical Engineering also being eligible.

(ii) 25% by a Limited Departmental Competitive Examination from amongst Gangmen, Keymen and Mates with the qualification of 10+2 with Science and Mathematics and having put in a minimum of three years regular service. Shortfall, if any, to be made good from amongst Gangmen/Keymen/Mates having the qualification of Matriculation / HSLC with three years regular service. Further shortfall, if any, to be added to the direct recruitment vacancies; and

(iii) 50% by promotion by seniority cum suitability through a written suitability test.

1.1 Supervisors (P.Way) are eligible for further promotion by selection to the post of J.E. Gr.II (P.Way) , pay scale Rs.5000-8000.

2. Railway Safety Review Committee in Part I of their recommendations have inter-alia made the following recommendations:-

(i) The existing direct recruitment quota of 25 % in the category of Supervisor (P.Way) may be increased to 50% with corresponding reduction in the existing promotion quota from 50% to 25%.

(ii) For Direct Recruitment for filling up 50% of the posts of Supervisor (P.Way) the existing qualification of 10+2 with Science and Maths may be revised to B.Sc with Physics and Maths or Diploma in Civil Engineering.

(iii) For promotion as Supervisor (P.Way) against seniority-cum-suitability quota the qualification of Class X Board examination may be prescribed.

(iv) For promotion of Supervisor (P.Way) as Junior Engineer (P.Way) Gr.II qualification of Class X Board Examination may be prescribed.

3. The matter has been considered carefully by the Ministry of Railway. The views of both the Federations have also been taken into account. Taking all aspects into consideration, the Ministry of Railways have decided not to accept the recommendations of the Committee to enhance the Direct recruitment quota from the existing 25% to 50% with corresponding reduction of promotion quota from 50% to 25%, and to prescribe qualification of Diploma in Civil Engineering for direct recruitment as Supervisor (P.Way). However, on other recommendations of the Committee the following decisions have been taken:-

(i) The educational qualification for recruitment as Supervisor (P.Way) should henceforth be B.Sc with Physics and Maths; Engineering Diploma holders will also be eligible.

(ii) Educational qualification for promotion of departmental staff as Supervisor (P.Way) against 50% promotee quota, will be Class X Board examination.

(iii) Educational qualification for promotion of Supervisor (P.Way) as Junior Engineer, (P.Way) Gr.II in the pay scale of Rs.5000-8000 will also be Class X Board Examination.

(iv) The shortfall, if any, against 50% promotion quota in the category of Supervisor (P.Way) should be added to LDCE quota.

4. In order to protect the promotional prospects of the existing staff as on the date of issue of these instructions not possessing the qualification of Class X Board examination, but are otherwise eligible for promotion to the categories of Supervisors (P.Way) and J.E.Gr.II (P.Way), it has been decided that such staff may be allowed to appear in the two consecutive selections/suitability tests as the case may be, conducted after issue of these instructions for promotion to the relevant categories without the condition of minimum educational qualification.

5. The Indian Railway Establishment Manual Vol.I, 1989 is also amended as in the ACS No. 143 enclosed.

Please acknowledge the receipt.

(J.S.Gusain)
Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

Enclosures: ACS No.143

No.E(NG)I/99/PM5/7 **New Delhi dated 01 -01-2003**

Copy forwarded to :-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies)
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

for Secretary/Railway Board

Copy to:

PSs to MR, MSR(B), MSR(A).

PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME.

PPSs to Secretary, DG/RHS, DG/RPF, ADG(DS)

PSs to all Addl.Members/Advisors/OSDs/EDs

DV(A), DE(L), DE(G), D(IH), DPC I&II, JD(MPP), JDE(R)I&II, JDE(Rep)I&III, JDE(D&A), JDE(P&A), JDE(L), JDE(N), JDE(N)II, DDE(N), DD(Health), DDF(E)I, DDF(E)VI, DDV(A&P), US(A), DDE(LR)I, DD(Code Revision) E(NG)II, E(O)III, E(Rep)I,II&III, Health Branch ERB-IV, SEC(E), PC-III,IV&V, E(Sports) ERB-II, ERB-V, E(Trg), E(MPP), V(SS) E(SCT)I&II.

....

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL
VOLUME - I (1989 EDITION)

Chapter I Section B Rules governing the recruitment and training of Group C and Group D and Workshop staff.

Advance Correction Slip No. 143

1. Substitute the following for the existing sub-para (1) of para 143:
"The posts in the category of Supervisor (Permanent Way) in the pay scale of Rs.4500-7000 shall be filled as under:-

(i) 25% by direct recruitment through Railway Recruitment Boards,

(ii) 25% by a Limited Departmental Competitive Examination from amongst Gangmen/Keymen/Mates with the qualification of 10+2 with Science and Mathematics and having put in a minimum of three years regular service. Shortfall, if any, should be made good from amongst Gangmen/Keymen/Mates having the qualification of Matriculation/ HSLC with three years regular service. Further shortfall, if any, shall be added to the direct recruitment quota.

(iii) 50% by promotion of Departmental staff having the qualification of Class X Board Examination. Shortfall, if any, should be made good by LDCE.

2. Insert the following note below sub-para (1) (iii) of para 143 as amended above:-

"Note: Departmental staff already in service as on date of issue of this Advance Correction Slip not possessing the qualification of Class X Board Examination but otherwise eligible for promotion against para 143 (1) (iii) above may be allowed two chances to appear in the two consecutive suitability tests conducted after the said date for promotion as Supervisor (P.Way)."

3. In sub-para (2) (i) of para 143, the words and figures "10+2 with Science and Maths .... " should be substituted by " B.Sc with Physics and Maths; Engineering Diploma holders will also be eligible."

4. Delete the existing note below sub-para (3) of para 143.

5. Substitute the following for the existing sub-para (1) (ii) of para 144

"33-1/3% by promotion by selection of Supervisor (Permanent Way) in the pay scale of Rs.4500-7000, with educational qualification of Class X Board examination."

(Authority : Ministry of Railway's letters No.E(NG)II/86/RC-2/35 dated 27-06-95 , No.E(NG)I/97/PM5/5 dated 07-11-97 and No.E(NG)I/99/PM5/7 dated 01-01-2003)

आरबीई सं. 2/2003

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)I/99/पीएम 5/7 नई दिल्ली, दिनांक 01.01.2003

महाप्रबंधक(कार्मिक)
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन कारखानें
(मानक सूची के अनुसार)

विषय : 4500-7000 रुपए के वेतनमान में पर्यवेक्षक(रेलपथ) और 5000-8000 के वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर(रेलपथ) ग्रेड II की कोटियों में रिक्तियों को भरना - रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द I (1989 संस्करण) के पैरा 143 में अंतर्विष्ट वर्तमान उपबंधों के अनुसार रेलपथ मिस्त्री, जिसका पदनाम परिवर्तित करके अब पर्यवेक्षक(रेलपथ), ग्रेड 4500-7000 रुपए कर दिया गया है, की कोटि में रिक्तियां निम्नानुसार भरी जानी हैं :-

(i) 25% रिक्तियां रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसके लिए अर्हता विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 होगी ; सिविल/यांत्रिक/बिजली इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक भी पात्र होंगे.

(ii) 25% रिक्तियां विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 को अर्हता रखने वाले तथा न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले गैंगमेन, कीमैन और मेट में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा; अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे तीन वर्ष को नियमित सेवा के साथ मेट्रिक/हाई स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र को अर्हता रखने वाले गैंगमेन/कीमैन/मेट में से पूरा किया जाएगा. फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे सीधी भर्ती को रिक्तियों में जोड़ दिया जाए : और

(iii) 50% रिक्तियां लिखित उपयुक्तता परीक्षा के माध्यम से वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा.

1.1 पर्यवेक्षक(रेलपथ) 5000-8000 रुपए के वेतनमान में, कनिष्ठ इंजीनियर, ग्रेड II (रेलपथ) के पद के लिए चयन द्वारा आगे पदोन्नति के पात्र होंगे.

2. रेल संरक्षा समीक्षा समिति ने अपनी सिफारिशों के भाग I में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(i) पर्यवेक्षक(रेलपथ) को कोटि में 25% सीधी भर्ती के वर्तमान कोटे को बढ़ाकर 50% किया जाए और वर्तमान पदोन्नति कोटे में कटौती करके 50% से 25% किया जाए.

(ii) 50% पर्यवेक्षक(रेलपथ) पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती को विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 की वर्तमान अर्हता को संशोधित करके भौतिकी एवं गणित के साथ विज्ञान स्नातक या सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा किया जाए.

(iii) वरिष्ठता एवं उपयुक्तता कोटा के अंतर्गत पर्यवेक्षक(रेलपथ) के रूप में पदोन्नति के लिए दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता निर्धारित की जाए.

(iv) पर्यवेक्षक(रेलपथ) की कनिष्ठ इंजीनियर(रेलपथ), ग्रेड II के रूप में पदोन्नति के लिए दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता निर्धारित की जाए.

3. रेल मंत्रालय द्वारा इस मामले में समुचित विचार कर लिया गया है. दोनों फेडरेशनों के दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा गया है. सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए रेल मंत्रालय ने पदोन्नति कोटा 50% से घटाकर 25% करके सीधी भर्ती कोटा वर्तमान 25% से बढ़ाकर 50% करने और पर्यवेक्षक(रेलपथ) के रूप में सीधी भर्ती के लिए सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा की अर्हता निर्धारित करने को समिति को सिफारिशें स्वीकार न करने का निर्णय लिया है. बहरहाल, समिति को अन्य सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :-

(i) पर्यवेक्षक(रेलपथ) के रूप में भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता अब भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान स्नातक होगी ; इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक भी पात्र होंगे.

(ii) 50% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत पर्यवेक्षक(रेलपथ) के रूप में विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए शैक्षिक अर्हता दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी.

(iii) पर्यवेक्षक(रेलपथ) की 5000-8000 रुपए के वेतनमान में कनिष्ठ इंजीनियर(रेलपथ), ग्रेड II के रूप में पदोन्नति के लिए भी शैक्षिक अर्हता दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा होगी.

(iv) अगर पर्यवेक्षक(रेलपथ) की कोटि में 50% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत कोई कमी रह जाती है तो उसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में जोड़ दिया जाए.

4. ऐसे वर्तमान कर्मचारी जो उपर्युक्त अनुदेश जारी होने की तारीख को दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता नहीं रखते हैं लेकिन अन्यथा पर्यवेक्षक(रेलपथ) और कनिष्ठ इंजीनियर ग्रेड II (रेलपथ) की कोटियों में पदोन्नति के पात्र हैं, उनकी पदोन्नति के अवसरों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि ये अनुदेश जारी होने के पश्चात ऐसे कर्मचारियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की शर्त के बिना संगत कोटियों में पदोन्नति के लिए आयोजित होने वाली दो क्रमिक चयन/उपयुक्तता परीक्षाओं, जैसा भी मामला हो, में बैठने की अनुमति प्रदान की जाए.

5. भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द I, 1989 को भी संलग्न शुद्धि पर्ची सं. 143.. के अनुसार संशोधित किया जाए.

कृपया पावती दें.

(जे.एस. गुसाई)
संयुक्त निदेशक(अरापत्रित)
रेलवे बोर्ड

संलग्नक : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं..143.......

सं. ई(एनजी)I/99/पीएम 5/7 नई दिल्ली, दिनांक 01.01.2003

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)

2. महासचिव, नैशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)

3. विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां)

4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां)

5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)

6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

भारतीय रेल स्थापना नियमावली
जिल्द I (1989 संस्करण)

अध्याय I खंड ख : समूह ग और समूह घ एवं कारखाना कर्मचारियों को भर्ती और प्रशिक्षण को शासित करने वाले नियम

अग्रिम शुद्ध पर्ची सं...143..........

1. वर्तमान पैरा 143 के उप-पैरा (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"4500-7000 रुपए के वेतमान में पर्यवेक्षक(रेलपथ) की कोटि में रिक्तियां निम्नानुसार भरी जाएंगी :-

(i) 25% रिक्तियां रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) 25% रिक्तियां विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 को अर्हता रखने वाले तथा न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले गैंगमेन, कीमैन और मेट में से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा; अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे तीन वर्ष को नियमित सेवा के साथ मेट्रिक/हाई स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र की अर्हता रखने वाले गैंगमेन/कीमैन/मेट में से पूरा किया जाएगा. फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे सीधी भर्ती को रिक्तियों में जोड़ दिया जाए ; और

(ii) 50% रिक्तियां दसवी कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता रखने वाले विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा. अगर कोई कमी रह जाती है तो उसे सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पूरा किया जाएगा."

2. उपर्युक्तानुसार संशोधित पैरा 143 के उप-पैरा (1)(iii) के नीचे निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए :-

"नोट : ऐसे सेवारत विभागीय कर्मचारी जो यह अग्रिम शुद्धि पर्ची जारी किए जाने की तारीख को दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता नहीं रखते हैं लेकिन अन्यथा पैरा 143 (i)(iii) के अंतर्गत पदोन्नति के पात्र हैं, उन्हें

- 2 -

पर्यवेक्षक(रेलपथ) के रूप में पदोन्नति के लिए उक्त तारीख के पश्चात् आयोजित होने वाली दो क्रमिक उपयुक्तत परीक्षाओं में बैठने के दो अवसर प्रदान किया जाएंगे."

3. पैरा 143 के उप-पैरा (2)(i)"विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2.........." शब्दों एवं अंकों को "भौतिकी और गणित के साथ विज्ञान स्नातक ; इंजीनियरी में डिप्लोमा धारक भी पात्र होंगे." द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा.

4. पैरा 143 के उप-पैरा(3) के नीचे उल्लिखित वर्तमान टिप्पणी को हटा दिया जाए.

5. पैरा 144 के उप-पैरा (1)(ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"33-1/3% रिक्तियां 4500-7000 के वेतनमान में पर्यवेक्षक(रेलपथ) में से चयन करके पदोन्नति द्वारा जिसके लिए दसवीं कक्षा को बोर्ड परीक्षा शैक्षिक अर्हता होगी."

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का पत्र सं. ई(एनजी)II/86/आरसी-2/35
दिनांक 27-06-95, सं. ई(एनजी)I/97/पीएम 5/5 दिनांक 07-11-97
और सं. ई(एनजी)I/99/पीएम 5/7 दिनांक 01.01.2003)